



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 1, 2017/माघ 12, 1938

No. 286]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 2017/MAGHA 12, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2017

का.आ. 318(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 28, 63, 143 और 157 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
28	9	पंजाब राज्य में मलौट के निकट रारा-7 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर हरियाणा राज्य में डबवाली, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, हांसी, रोहतक, बहादुरगढ़, दिल्ली [पंजाबी बाग (पुरानी रारा सं. 10 के किमी 12.300) से निजामुद्दीन ब्रिज रिंग रोड टी जंक्शन (पुरानी रारा सं. 24 के किमी 0.00) तक रिंग रोड के भाग को छोड़कर], उत्तर प्रदेश राज्य में गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बिलासपुर, उत्तराखंड राज्य में रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा, टनकपुर, पिथौरागढ़, ओगला को जोड़ने वाला और असकोट के निकट भारत/नेपाल सीमा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

63	19	उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा के निकट रारा-44 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, बिहार राज्य में मोहनियां, औरंगाबाद, डोभी, झारखंड राज्य में बरही, बगादर, गोबिंदपुर, पश्चिम बंगाल राज्य में आसनसोल, पलसित को जोड़ने वाला और कोलकाता के निकट रारा-16 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
143	44	जम्मू और कश्मीर राज्य में श्रीनगर के निकट रारा-1 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बनिहाल, जम्मू, कठुआ, पंजाब राज्य में पठानकोट, मुकेरियां, जालंधर, लुधियाना, राजपुरा, हरियाणा राज्य में अंबाला, करनाल, पानीपत, कुंडली, दिल्ली [मुकरबा चौक (पुरानी रारा सं. 1 के किमी 16.500) से आश्रम चौक (पुरानी रारा सं. 2 के किमी 8.300) तक रिंग रोड के भाग को छोड़कर], हरियाणा राज्य में फरीदाबाद, पलवल, होडल, उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा, आगरा, राजस्थान राज्य में धौलपुर, मध्य प्रदेश राज्य में मुरैना, ग्वालियर, दतिया, उत्तर प्रदेश राज्य में झांसी, ललितपुर, मध्य प्रदेश राज्य में सागर, नरसम्हापुर, लखनादोन, शिवनी, महाराष्ट्र राज्य में नागपुर, जम्ब, पंधरकावडा, आंध्र प्रदेश राज्य में आदिलाबाद, निर्मल, रमायमपेट, हैदराबाद, कुरनूल, गूटी, अनंतपुर, पेनूकोंडा कर्नाटक राज्य में देवनहल्ली, बंगलुरु, तमिलनाडु राज्य में होसुर, कृष्णागिरी, धर्मापुरी, सलेम, कन्याकुमारी (केप कॉमन) को जोड़ने वाला राजमार्ग ।
157	48	दिल्ली में राव तुला राम मार्ग (पुरानी रारा सं. 8 के किमी 14.300) के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर, हरियाणा राज्य में बावल, राजस्थान राज्य में कोटपुतली, जयपुर के निकट, किशनगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, गुजरात राज्य में अहमदाबाद, बड़ोदरा, अंकलेश्वर, महाराष्ट्र राज्य में मुंबई, थाणे, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, कर्नाटक राज्य में बेलगाम, चित्रदुर्ग, बंगलुरु, तमिलनाडु राज्य में कृष्णागिरी, वेल्लोर को जोड़ने वाला और चेन्नै के निकट रारा-16 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा.सं. एनएच-14012/5/2017-पी ऐंड एम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी ऐंड बी)

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180, दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 3688(अ), दिनांकित 9 दिसंबर, 2016 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2017

S.O. 318(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 28, 63, 143 and 157 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Serial No.	New National Highways No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
28	9	The Highways starting from its junction with NH-7 near Malaut in the State of Punjab connecting Dabwali, Sirsa, Fatehabad, Hisar, Hansi, Rohtak, Bahadurgarh in the State of Haryana, Delhi [except portion of ring road from Punjabi Bagh (km. 12.300 of old NH No. 10) to Nizamudin bridge ring road T junction (km. 0.00 of old NH No. 24)] , Ghaziabad, Moradabad, Rampur, Bilaspur in the State of Uttar Pradesh, Rudrapur, Sitarganj, Khatima, Tanakpur, Pithoragarh, Oglā and terminating at Askot near Indo/Nepal border in the State of Uttrakhand.
63	19	The highway starting from its junction with NH-44 near Agra connecting Kanpur, Allahabad, Varanashi in the State of Uttar Pradesh, Mohania, Aurangabad, Dobhi in the State of Bihar, Barhi, Bagadar, Gobindpur in the State of Jharkhand, Asansol, Palsit and terminating at its junction with NH-16 near Kolkata in the State of West Bengal.
143	44	The highway starting from its junction with NH-1 near Srinagar connecting Banihal, Jammu, Kathua in the State of Jammu & Kashmir, Pathankot, Mukerian, Jalandhar, Ludhiana, Rajpura in the State of Punjab, Ambala, Karnal, Panipat connecting Kundli in the State of Haryana, Delhi [except portion of ring road from Mukarba Chowk (km 16.500 of old NH No. 1) to Ashram Chowk (km 8.300 of old NH No. 2)] , Faridabad, Palwal connecting Hodal in the State of Haryana, Mathura connecting Agra in the State of Uttar Pradesh, Dhaulpur in the State of Rajasthan, Morena, Gwalior connecting Datia in the State of Madhya Pradesh, Jhansi connecting Lalitpur in the State of Uttar Pradesh, Sagar, Narsmhapur, Lakhnadon connecting Seoni in the State of Madhya Pradesh, Nagpur, Jamb connecting Pandharkawada in the State of Maharashtra, Adilabad, Nirmal, Ramayampet, Hyderabad, Kurnool, Gooty, Anantapur connecting Penukonda in the State of Andhra Pradesh, Devanahalli connecting Bangaluru in the State of Karnataka, Hosur, Krishnagiri, Dhramapuri, Salem connecting Kanniyakumari (Cape Comonn) in the State of Tamil Nadu.
157	48	The highway starting from its junction with Rao Tula Ram Marg in Delhi (km. 14.300 of old NH No. 8) connecting Bawal in the State of Haryana, Kotputli, near Jaipur, Kishangarh, Bhilwara, Chittaurgarh, Udaipur in the State of Rajasthan, Ahmedabad, Vadodara, Ankleshwar in the State of Gujarat, Mumbai, Thane, Pune, Satara, Kolhapur in the State of Maharashtra, Belgaum, Chitradurga, Bangaluru in the State of Karnataka, Krishnagiri, Vellor and terminating at its junction with NH-16 near Chennai in the State of Tamilnadu.

[F. No. NH-14012/5/2017-P&M]
MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote:—The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 3688 (E), dated 9th December, 2016.